राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेलः– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(आर–2298 / 2013) / अलेसे–III / 149 दिनांक :– 5/5/2022

श्री राजेश कुमार यादव, कनिष्ठ लेखाकार,
कार्यालयः– वित्त (जीएण्डटी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

विषयः– अग्रिम अध्ययन स्वीकृति हेतु।
संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में आपकों राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2022–23 में एम.ए. प्रथम वर्ष हिन्दी (स्वयंपाठी), परीक्षा में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम–1971 के प्रावधानों एवं आपके नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तो के अध्यधीन सम्मिलित होने की अनुमति / स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार / विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. यदि पदस्थापन मुख्यालय परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
10. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(आर–2298 / 2013) / अलेसे–III / 149 दिनांक :– 5/5/2022

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जीएण्डटी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री राजेश कुमार यादव, कनि0 लेखाकार कार्यालय वित्त (जीएण्डटी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(लेखराम मीणा)
उप निदेशक (कार्मिक–III)

D:\2019\JITENDRA JI\N.O.C.DOCX:- 9